



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र – (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक- 4145 / रेनुकूट / 15-26 दिनांक, रेनुकूट, जून, 12, 2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अंतर्गत मे० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट को 132 के०वी० विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे० आरक्षित वनभूमि की लीज को पुनः 25 वर्षों हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1-उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्र संख्या- पी० 38/81-2-2023-800(14)/2023 दिनांक- 20.03.2023
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या-3033/11-सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक-23.03.2023

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में उ०प्र० शासन के संदर्भित पत्र दिनांक- 20.03.2023 द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त करते हुए प्रभाग की आख्या निम्नानुसार चार प्रतियो मे इस पत्र के साथ संलग्न कर संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्र संख्या- पी० 38/81-2-2023-800(14)/2023 दिनांक- 20.03.2023 में इंगित की गयी कमियो का विवरण ।	प्रभाग की आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव के पृष्ठ -2 पर रक्षित गैर वन भूमि का स्वामित्व किसका है ?	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रस्ताव के भाग-11 पर अंकित 2.846 हे० गैर वन भूमि मे से 2.214 हे० गैर वन भूमि उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० (रिहन्द) की है तथा 0.632 हे० गैर वन भूमि संस्थान के स्वामित्व का है ।
2	प्रस्ताव के पृष्ठ -23 पर रक्षित मक डिस्पोजल योजना अनुमन्य न होने कारण जबकि अलग-अलग अवधि मे दिया गया है ? स्पष्ट किया जाय ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत लीज प्रथम वार उ०प्र० शासन के आदेश संख्या- 4887(2)/14-2-794/72 दिनांक- 02.09.1972 द्वारा संस्थान को दी गयी है जिस पर तत्समय ही ट्रान्समिशन लाईन का निर्माण कार्य किया गया है । प्रश्नगत वन भूमि पर वर्तमान मे कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाना है इस कारण कोई भी मक का उत्सर्जन नहीं होगा फलस्वरूप मक डिस्पोजल योजना अनुमन्य नहीं है ।
3	प्रस्तावित परियोजना मे समतुल्य गैर वन भूमि लिये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र/वचनबद्धता संलग्न नहीं है । क्या समतुल्य गैर वन भूमि नहीं लिया जायेगा । कारण बताये ?	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-2/2017-एफ०सी० दिनांक- 28.03.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स के बिन्दु संख्या- 2.5 मे निम्न प्रकार उल्लिखित है :- Special provisions for A for certain categories of projects: (i) CA shall be raised and maintained at the cost of the user agency on degraded forest land twice in extent of the forest area diverted in the case of ;

		<p>a- Laying of transmission lines;</p> <p>उपरोक्त उल्लिखित प्राविधानो के क्रम मे ही प्रभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की योजना तैयार कराते हुए वन भूमि हरतान्तरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-53 से 56 पर संलग्न किया गया है ।</p>
4	विषयगत प्रकरण फेस लीज जैसा व्यवहृत किया जाता है ?	<p>इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत लीज प्रथम वार उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-4887(2)/14-2-794/72 दिनांक-02.09.1972 द्वारा (दिनांक-01.04.1972 से 31.03.1997 तक) 25 वर्षो हेतु संस्थान को दी गयी, तथा उक्त लीज को पुनः 25 वर्षो हेतु (दिनांक-01.04.1997 से 31.03.2022 तक) भारत सरकार के आदेश संख्या-8बी/य04/2074/2000/एफ0सी0/726 दिनांक- 06.10.2000 द्वारा व इसके क्रम मे उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या- 774/14-2-2000-749/72 दिनांक- 02.03.2001 द्वारा नवीनीकरण आदेश जारी किया गया । संस्थान द्वारा उक्त लीज की समाप्ति की तिथि दिनांक- 31.03.2022 से आगे की अवधि (दिनांक- 01.04.2022 से 31.03.2047 तक) 25 वर्षो के लिए पुनः लीज का नवीनीकरण प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप मे प्रस्तुत किया गया है ।</p>
5	वन (संरक्षण) नियम 2022 के प्राविधानो के अनुसार प्रस्ताव की पूर्णतः की जाँच हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3261/81-2-2022-600(60)/2000 दिनांक- 10.01.2023 द्वारा गठित समिति राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (पी.एस.सी.) से अनुमोदनोपरान्त उपलब्ध कराया जाय ।	<p>इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रस्ताव की जाँच प्रभाग द्वारा करने के उपरान्त उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी है । पी0एस0सी द्वारा परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव उच्च स्तर पर प्रेषित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है ।</p>
6	प्रस्ताव के पृष्ठ -22 पर रक्षित प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है ?	<p>इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 22 पर रक्षित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है बल्कि प्रस्तावित वन रूवरूप क्षेत्र प्रभावित न होने संबधित प्रमाण पत्र संलग्न है जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित है ।</p>
7	प्रस्ताव मे परियोजना की श्रेणी पारेषण लाईन तो है, परन्तु किस सीमा तक लीनियर माना जाय ? स्पष्ट किया जाय ।	<p>इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-2/2017-एफ0सी0 दिनांक-28.03.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स के चैप्टर-11 के बिन्दु संख्या- 11.2 के अनुसार प्रश्नगत परियोजना लीनियर की श्रेणी मे आता है ।</p>

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- 4148 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि: श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट-सोनभद्र को उनके पत्र दिनांक-23.05.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त नवीनीकरण प्रस्ताव के स्वीकृति हेतु उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट